

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2022-23

Letter of Approval (LoA)

F.No. Northern /2022-23/1-11321090951

Date: 13-Jul-2022

To,
The Chairman
INSTITUTE OF DENTAL AND MEDICAL RESEARCH SOCIETY
PLOT NO.2 A, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA,
GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR
Uttar Pradesh, 201306

Sub: Letter of Approval for New Institution 2022-23

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) (1st Amendment) Regulations, 2022 notified on 24th February 2022 and other notifications as applicable and published from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-11321090951	Application Id	1-11321090951
Name of the Institution	G.L.BAJAJ COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT	Name of the Society/ Trust/ Company	INSTITUTE OF DENTAL AND MEDICAL RESEARCH SOCIETY
Institution Address	PLOT NO. 2 A, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/ Trust/ Company Address	PLOT NO.2 A, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR Uttar Pradesh, 201306
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23*

Sr. No.	Level	Program	Course	Affiliating University/ Board	Intake Approved for 2022-23
1	POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180
2	POST GRADUATE	MCA	MCA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120

10% seats will be allowed over and above the Approved Intake to accommodate reservation for EWS as per State Government Policy.

*Note: The approval is valid for two years from the date of issue of this letter only for getting affiliation with respective University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET) (as applicable) and fulfilling State Govt. requirements for admission. If institution is unable to start in the academic session 2022-23 due to reason mentioned above, the institution will have to apply On-line on AICTE web portal in next academic session for continuation of approval.

The Society/Trust/Company/Institution shall obtain necessary affiliation / permission from the concerned affiliating University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET)(as applicable) as per the prescribed schedule of the University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET)(as applicable) Admission authority etc. The Applicant Society/Trust/Company/Institution shall send information about commencement of the above courses to AICTE. In case the Institution is not in a position to commence the above mentioned courses for whatever reason during the two years period from the date of issue of this letter, the approval becomes invalid and the applicant Society/Trust/Company/Institution shall make fresh application to AICTE for grant of approval as per the norms prevailing at that time.

All Institution shall fulfil the following general conditions:

1. The management shall provide adequate funds for development of land and for providing related infrastructural, instructional and other facilities as per norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting recurring expenditure.
2. The Eligibility Criteria for admissions shall be made in accordance with the regulations notified by the Council from time to time.
3. The tuition and other fees shall be charged as prescribed by the Competent Authority within the overall criteria prescribed by the Council

from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/ guardians of students in any form. If found so, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution

4. The Curriculum of the course, the procedure for evaluation / assessment of students shall be in accordance with the Model Curriculum and Examination Reforms prescribed by the AICTE from time to time.
5. The management of the Institution shall not discontinue any course(s) or start any new course(s) or alter intake capacity of seats without the prior approval of the Council.
6. No excess admission shall be made by the Institution over and above the approved intake under any circumstances. In case any excess admission is reported to the Council, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
7. The Institution shall not have any collaborative arrangements with any other Indian and / or Foreign Universities for conduct of technical courses without obtaining prior approval from AICTE. In case any violation is reported to the Council, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution
8. The Institution shall not conduct any course(s) as specified in the Approval Process Handbook without prior permission / approval of AICTE. If found so, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
9. The Institution shall operate only from the approved location, and that the institution shall not open any off campus study centers / extension centers directly or in collaboration with any other institution / university / organization for the purpose of imparting technical education without obtaining prior approval from the AICTE. If found so, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
10. The accounts of the Institution shall be audited annually by a certified Chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or persons authorized by it.
11. Heads of Departments, the teaching and other staff shall be appointed in given time frame and selection shall be done according to procedures, qualifications and experience prescribed by the Council from time to time and pay scales are as per the norms prescribed by the AICTE from time to time. The Institution shall publish an information booklet before commencement of the academic year giving details regarding the Institution and courses / programs being conducted, Fees charged and details of infrastructural facilities including faculty etc. in the form of mandatory disclosure. The information booklet may be made available to the stakeholders of the technical education. The mandatory disclosure information, as per directions in the AICTE website / Approval Process Handbook, shall be put on the Institution Website. The information shall be revised every year with updated information about all aspects of the Institution.
12. It shall be mandatory for the Institution to maintain a Website providing the prescribed information. The Website information must be continuously updated as and when changes take place.
13. If the Institution fails to disclose the information or suppress and / or misrepresent the information, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
14. AICTE may also conduct inspections with or without notifying the dates to verify specific complaints, to verify adherence to AICTE norms & standards, and to verify any mis-representation, violation of norms & standards, mal-practices etc.
15. The Institution by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government.
16. In the event of a student / candidate withdrawing before the starting of the course, the wait listed candidates should be given admission against the vacant seat. The entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than Rs. 1000/(Rupees one thousand only) shall be refunded and returned by the Institution to the student / candidate withdrawing from the program. It would not be permissible for the Institution to retain the School / Institution Leaving Certificates in original to force retention of admitted students and not to charge fees for the remaining period if a student cancels the admission at any point of time.
17. The Institution shall take appropriate measures for prevention of ragging in any form, in the light of AICTE regulation "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to Universities imparting technical education" Regulation 2009 (F.No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated 01/07/2009). In case of failure to prevent the instances of ragging by the Institutions, the Council shall take appropriate action as per the notified regulations.
18. It is mandatory to comply all the essential requirements as given in APH 2022-23(appendix 6)

The Government/ Management of the Institution shall strictly follow further conditions as may be specified by the Council from time to time. The Council may withdraw the approval, in case it observe any violation of the above conditions and/or non- adherence to the norms and standards prescribed by the Council, mis-representation of facts and submitting factually incorrect information to it.

NOTE: If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutions and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2022-23. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh**
2. **The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow**

3. **The Principal / Director,**
G.L.BAJAJ COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
Plot No. 2 A,
Greater Noida,Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh,201306

 4. **The Regional Officer,**
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

 5. **Guard File(AICTE)**
-

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

****Copy of this letter will not be communicated through post/email. However, provision is made in the portal for downloading letter through Authorized login credentials allotted to concerned State Secretary/ DTE/Registrar.**

डॉ० राजीव कुमार सिंह
उप कुलसचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2022/17230

दिनांक: 30 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,

INSTITUTE OF DENTAL AND MEDICAL RESEARCH SOCIETY,
Gautam Buddha Nagar

विषय: INSTITUTE OF DENTAL AND MEDICAL RESEARCH SOCIETY, GAUTAM BUDDHA NAGAR द्वारा प्रायोजित संस्थान G.L. BAJAJ COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, GAUTAM BUDDHA NAGAR को शैक्षिक सत्र 2022-23 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2152/सोलह-1-2022-13 (01)/2018 दिनांक 28.09.2022के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति की अनुशांसा के अधीन होगी।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Master of Computer Applications	MCA	Shift I	120	120	-	120
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	180	180	-	180

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-


- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फ़ैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप/पी.सी.आई./सी.ओ. ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

h

6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 10 अक्टूबर, 2022 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानको के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षको की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विरसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2022-23 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2022-23 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2022-23 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2022-23 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातशिप/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2022-23 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2023-24 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
25. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तम्भ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।
26. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित, उ० प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 6.09 के प्राविधान के अनुसार प्रथम सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के निर्गत होने के दस दिन के अन्दर विश्वविद्यालय के स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ में स्थित वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, के खाता संख्या **34733312391 IFSC Code SBIN0018957** में आनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संदान निधि जमा कराना सुनिश्चित करना होगा। संदान निधि 15 अक्टूबर, 2022 तक जमा न कराने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त हो जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


 (डॉ० राजीव कुमार सिंह)
 उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।